"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2016—कार्तिक 27, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 (कार्तिक 27, 1938)

क्रमांक-12001/वि. स./विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 24 सन् 2016) जो शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 24 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में, खण्ड (ञञ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(टट) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;"

धारा 48 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) यदि सोसाइटी, अपेक्षित संख्या में बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहती है, तो निर्वाचित सदस्य, ऐसी सोसाइटी के ऐसे सदस्यों, जो ऐसे प्रतिनिधित्व करने हेतु पात्र हैं, में से अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन करेंगे :

परन्तु यह कि सोसाइटी के किसी सम्मिलन में कोई सहयोजन तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक उसमें गणपूर्ति न हों :

परन्तु यह और कि ऐसे बोर्ड के सम्मिलन की अध्यक्षता रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की जायेगी."

धारा 48-ख का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की धारा 48-ख की उप-धारा (3) में,-

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

परन्तु यह कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित समूहों तथा अनारक्षित वर्ग में से प्रत्येक प्रवर्ग में एक स्थान (सीट), महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाएगा."

धारा 53-ख का संशोधन.

5\. मूल अधिनियम की धारा 53-ख की उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(4) (एक) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी का कोई वेतनभोगी अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके अधीन निर्मित नियमों या सोसाइटी की उपविधियों या उसके द्वारा पारित किसी आदेश का जान-बूझकर अथवा लगातार उल्लंघन करता है अथवा उसने अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है तो,-

(क) वह, किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि ऐसे अधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की सोसाइटी से अपेक्षा कर सकेगा; तथा

(ख) तत्पश्चात् सोसाइटी, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कालावधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगी, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये.

(दो) यदि सोसाइटी, उप-धारा (4) के खण्ड (एक) के अधीन कार्यवाही करने में विफल होता है तो रजिस्ट्रार, ऐसे अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अधिकारी पर ऐसी दीर्घ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

स्पष्टीकरण.- "दीर्घ शास्ति", वर्तमान में धारित पद से पदावनति अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा सेवामुक्ति का आदेश हो सकता है.

(तीन) उप-धारा (4) के खण्ड (एक) या (दो) के अधीन दण्डित किये गये अथवा हटाए गये किसी वेतनभोगी अधिकारी को, संबंधित सोसाइटी के सेवा नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन दण्डित किया गया समझा जाएगा; और सेवा से उसके अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा पदच्युति के मामले में, ऐसा अधिकारी किसी भी सहकारी सोसाइटी में कोई भी पद धारित करने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की उप-धारा (4) के अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां, संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि ऐसे वेतनभोगी अधिकारी को इस उप-धारा के अधीन हटाये जाने से उद्भूत रिक्त स्थान, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा शीघ्र भरी जाएगी."

6. मूल अधिनियम की धारा 53-ख के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

नवीन धारा 53-ग का अत:स्थापन.

"53-ग. कतिपय परिस्थितियों में सहकारी बैंक के अधिकारी को हटाया जाना.-

(एक) किसी सहकारी बैंक के बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो कि, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को यथास्थिति, रजिस्ट्रार या नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा, रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय बैंक की अनुशंसा पर हटाया जाएगा.

(दो) जहां रिजर्व बैंक की राय हो कि किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि उसका निरंतर बना रहना बैंक के हित में वांछनीय नहीं है, तो वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाये जाने के लिये रजिस्ट्रार से अपेक्षा कर सकेगा तथा रजिस्ट्रार, ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 48 की उप-धारा (9) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया हो, रिजर्व बैंक की राय में, अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव नहीं रखता हो, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, पद से हटाया जाएगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (3) में,-

धारा 54 का संशोधन.

(एक) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) उप-धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(क) किसी सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने के लिए पात्रता मानदण्ड ऐसे होंगे, जैसा कि इस संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा विहित किया जाये.

(ख) यदि संबंधित सहकारी बैंक पात्रता मानदण्ड के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार बैंक के ऐसे पात्र अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा."

धारा 57-ख का विलोपन.

8. धारा 57-ख को विलोपित किया जाये.

धारा 58 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 58 में,-

(एक) उप-धारा (4) में,-

(क) पूर्ण विराम चिन्ह "." के स्थान पर, चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये ; तथा

(दो) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु यह और भी कि सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक ऐसी अपेक्षा करे, तो रजिस्ट्रार, सहकारी बैंक के वित्तीय लेखाओं की विशेष संपरीक्षा करायेगा और ऐसे संपरीक्षा की रिपोर्ट को, ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर, प्रस्तुत करेगा, जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा विहित की जाये."

(तीन) उप-धारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(8) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में, रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे विवेकपूर्ण मानदण्ड, जिसमें पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से अनुपात के मानदण्ड भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे."

धारा 58-ख का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 58-ख की उप-धारा (3) में, शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर, शब्द "अधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 2 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की परिभाषा सम्मिलित करने, धारा 48 में रिक्त सीटों के संबंध में सहयोजन के प्रावधान को स्पष्ट करने, धारा 48-ख में महिलाओं के लिए एक सीट आरक्षित करने, धारा 53-ख में तथा नवीन धारा 53-ग के द्वारा ऐसे अधिकारियों, जो अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों का जानबूझकर एवं लगातार उल्लंघन करते हैं, को हटाये जाने का प्रावधान करने, धारा 54 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पात्रता मानदण्ड हेतु प्रावधान करने, धारा 58 में संपरीक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने तथा धारा 58-ख के अधीन अधिकरण को अपील करने हेतु प्रावधान करने के लिये, उक्त अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 10 नवम्बर, 2016

दयालदास बघेल
सहकारिता मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 2 (ञञ), 48(3), 48-ख(3), 53-ख(3), 54(3), 57-ख, 58 (4), 58 (7), 58-ख का उद्धरण.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 2. परिभाषाएं -

खण्ड (ञञ) "राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 50-ख में निर्दिष्ट आयोग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243यट के अंतर्गत सहकारी सोसायटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 48. सोसाइटी में का अंतिम प्राधिकार -

उप-धारा (3) सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में उनके सदस्यों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के स्थान का आरक्षण उनकी सदस्यता के अनुपात में किया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसा आरक्षण बोर्ड की कुल सदस्यता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि एक स्थान (सीट) अनुसूचित जातियों या अनसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रहेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 48-ख. प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त -

उप-धारा (3) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबंध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान, जहां तक संभव हो, उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक प्रवर्ग के सदस्यों का, उस सोसाइटी की, कुल सदस्य संख्या के साथ है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 53-ख. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति -

उप-धारा (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हटाया गया अधिकारी उस आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से उस पद का धारणकर्ता नहीं रह जाएगा और यदि वह निरर्हित कर दिया गया हो तो वह इस बात के लिए पात्र नहीं होगा कि वह, उस आदेश में विनिर्दिष्ट की कोई कालावधि के दौरान उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करें.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति -

उप-धारा (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाये गये ऐसे संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किये जायें, आफिसरों को नियोजित करेंगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए यह बाध्यताकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को जब कभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाय, स्वीकार करे तथा उन्हें उन संवर्ग पदों पर नियुक्त करें.

* * * * * * * * * * * * * *

"अध्याय पांच-क

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों के संबंध में प्रावधान

धारा 57-ख. अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटियों का प्रबंधन -

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी की उपविधियों या उसके अधीन जारी आदेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के प्रावधानों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(2) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(एक) "सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसमें अन्य सहकारी सोसाइटी या सहकारिता सदस्य हैं;

(दो) "सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) की धारा 2 (च) के अधीन यथा परिभाषित सहकारिता;

(तीन) "राष्ट्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक;

(चार) "सहायक सहकारिता" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता, जिसमें अन्य सहकारिता या सहकारी सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी" में सम्मिलित है, राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी.

(3) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, सहायक सहकारिता के सदस्य बनने हेतु पात्र होगी.

(ख) छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र. 2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारिता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी की सदस्य हो सकती है.

(4) एक अल्पकालीन साख संरचना सहकारी सोसाइटी एक सम्बद्ध सहकारी सोसाइटी या एक सहायक सहकारिता की सदस्य अपनी इच्छानुसार बन सकती है या ऐसी सहकारी सोसाइटी या सहकारिता की सदस्यता से अलग हो सकती है.

(5) (क) एक अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की उपविधि या उपविधियों में कोई संशोधन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा.

(ख) यदि, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि प्रस्तावित उपविधियों या उपविधियों में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के विरुद्ध हैं तो वह आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के भीतर उस पर सम्यक् रूप से कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे निरस्त करेगा.

(6) (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक अमानतदार न्यूनतम अमानत राशि एवं अवधि संबंधी मानदण्ड, जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंशपूंजी के अंशदान करने के पश्चात् धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी के सदस्य बनने हेतु पात्र होंगे एवं उन्हें एक सदस्य के रूप में पूर्ण मताधिकार होगा.

(ख) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति या उधारकर्ता समूह को प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का सदस्य बनने का अधिकार होगा.

(ग) धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत प्रत्येक समूह जमाकर्ता या उधारकर्ता समूह को समूह द्वारा नामित एक प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान का अधिकार होगा.

(7) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों, विशेषत: निम्नांकित क्षेत्रों में स्वशासी होगी :-

(एक) रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप और उसके अध्यधीन अमानतों एवं ऋणों पर ब्याज दर,

(दो) उधार ग्रहण एवं विनियोग,

(तीन) ऋण नीतियों एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णयों,

(चार) कार्मिक नीति, स्टाफिंग, भर्ती, कर्मचारियों की पदस्थापना और पारिश्रमिक, और

(पांच) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, अंकेक्षकों की नियुक्ति एवं अंकेक्षण के लिए प्रतिकर.

(8) किसी भी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की अंशपूंजी में राज्य सरकार का अभिदाय 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और राज्य सरकार अथवा ऐसी सहकारी सोसाइटी अपनी इच्छानुसार राज्य सरकार का अभिदाय कम कर सकती है.

(9) (क) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा, यदि राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया हो :

परन्तु यह कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मताधिकार होगा.

(ख) (एक) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार का केवल एक नामिती होगा यदि बोर्ड की अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया हो:

परन्तु प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार के नामिती न तो निर्वाचन में भाग लेंगे और न ही ऐसे निर्वाचन में मतदान का अधिकार होगा.

(दो) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को, इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारी सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्र.2 सन् 2000) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य सहकारिता के साथ संव्यवहार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी.

(10) किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी को किसी भी स्तर की संरचना में प्रवेश करने तथा उससे बाहर होने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, और इसके प्रचालन के लिए भौगोलिक सीमाओं का आज्ञापक निर्बन्धन नहीं होगा.

(11) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी भी बैंक में अपना फंड विनियोजित अथवा निक्षेप कर सकेगी तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा निवेश अथवा निक्षेप उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी में करे जिससे वह संबद्ध है.

(12) कोई अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी, रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किसी बैंक से ऋण ले सकती है तथा राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त ले सकती है तथा यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा ऋण अथवा पुनर्वित्त उसी संबद्ध सहकारी सोसाइटी से ले जिससे वह संबद्ध है.

(13) कोई प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी राष्ट्रीय बैंक की सलाह से रजिस्ट्रार द्वारा बनाये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान कर सकती है.

(14) कोई व्यक्ति अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड में निर्वाचित, नामांकित या सहयोजित या एक सदस्य के रूप में निरंतर रहने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि वह :-

(एक) ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है वह ऐसे बैंक के भुगतान में 90 दिनों से अधिक अवधि का चूक करती हो;

(दो) ऐसा व्यक्ति है जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के शोध्यों के संदाय में चूक करता है या जो केन्द्रीय सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक की बोर्ड में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि ऐसी सहकारी सोसाइटी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है ऐसे बैंक के भुगतान में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए चूक करती है, जब तक चूक मुक्त नहीं हो जाती.

(तीन) ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसी सहकारी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी बोर्ड अतिष्ठित हो गई है.

(15) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड रिजर्व बैंक के पूर्व परामर्श के बिना अतिष्ठित नहीं की जाएगी.

(ख) किसी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर ही अतिष्ठित की जाएगी, यदि :-

(एक) कोई सहकारी सोसाइटी लगातार तीन वर्षों तक हानि उपगत करती हो;

(दो) गंभीर वित्तीय अनियमितताएं जो इस प्रयोजन हेतु हुई जांच में प्रमाणित पायी गयी हों;

(तीन) धोखाधड़ी/कपट पाया गया हो;

(चार) लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति की कमी रही हो.

(16) (क) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान बोर्ड के कार्यकाल के अवसान के पूर्व कराएगा.

(ख) राज्य निर्वाचन आयोग किसी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का निर्वाचन अधिक्रमण की तारीख से, प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में छ: माह तथा राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के मामले में बारह माह के भीतर कराएगा:

परन्तु यह कि परिस्थितियां नियंत्रण से परे होने पर, शासन अधिक्रमण की तारीख से छ: माह से अनधिक अवधि के भीतर ऐसे निर्वाचन कराने की अनुमति प्रदान कर सकेगा.

(ग) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की बोर्ड जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधिक्रमित किया गया है, का कोई सदस्य अधिक्रमण की तारीख से तीन वर्षों की कालावधि के लिए पुन: निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि जहां धारा 15 (ख) (चार) में अंतर्विष्ट आधारों पर अधिक्रमण किया जा रहा है, वहां गणपूर्ति का अभाव ऐसे सदस्य की अनुपस्थिति के कारण नहीं है.

(17) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति नहीं करते हैं, को रजिस्ट्रार अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, के द्वारा राष्ट्रीय बैंक अथवा रिजर्व बैंक की सिफारिश पर हटाया जायेगा.

(18) (क) राज्य सहकारी बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बोर्ड में ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए, विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की संख्या दो से अधिक न हो तथा ऐसे क्षेत्रों में जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा नियत किया जाए रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक की राय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले निर्वाचित संचालकों की ऐसी संख्या न होने की दशा में राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंकों, यथास्थिति, की बोर्ड, ऐसे क्षेत्र में पेशेवर (वृत्तिक व्यक्ति) ऐसी संख्या में सहयोजित करेगी और ऐसे सहयोजित पेशेवरों को निर्वाचन को छोड़कर पूर्ण मताधिकार होगा चाहे, ऐसा वृत्तिक (पेशेवर) बोर्ड का सदस्य हो अथवा नहीं.

(ख) यदि किसी व्यक्ति को रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अपेक्षित ज्ञान अथवा अनुभव के बिना इस उप-धारा के खण्ड (क) के अधीन बोर्ड में सदस्य के रूप में सहयोजित किया गया है, तो उसे रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पद से हटाया जायेगा.

(19) राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के सदस्यों के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो तीन व्यक्तियों से अनधिक के नामों के पैनल में से होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा नियत मानदण्ड के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पद धारण करने हेतु पात्र हो और उपर्युक्त पैनल की अनुशंसा चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे जिसमें से सभी राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों में से होंगे-

(1) बोर्ड में राज्य शासन का नामिती.

(2) बोर्ड में राष्ट्रीय बैंक का नामिती.

(3) बोर्ड का एक अन्य सदस्य जो या तो निर्वाचित हो या सहयोजित हो.

(20) कोई भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उनके अलावा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्त है] "बैंक" शब्द या बैंक शब्द के साथ किसी अन्य व्युत्पन्न शब्द के साथ रजिस्ट्रीकृत नहीं होंगे तथा अपने रजिस्ट्रीकृत नाम या अपने नाम के भाग के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे :

परंतु यह कि कोई प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी या इसका परिसंघ या संघ [उन संस्थाओं के अलवा जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत बैंक के रूप में अनुज्ञप्त है] इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व "बैंक" शब्द का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकृत है, शब्द "बैंक" अथवा इसके व्युत्पन्नों सहित, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन माह के भीतर विलोपित किये जायेंगे :

परंतु यह और कि जहां ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी उपरोक्त प्रावधानों का उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अनुपालन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सहकारी सोसायटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके परिसमापन का आदेश देगा.

(21) राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय लेखा पुस्तिकाओं का, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित ऐसे संपरीक्षकों के पैनल में से संपरीक्षक या संपरीक्षक फर्म्स द्वारा संपरीक्षा एवं सत्यापन किया जाएगा.

(22) जहां रिजर्व बैंक यह आवश्यक समझे, राज्य सहकारी बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक यथास्थिति, के वित्तीय लेखाओं का विशेष अंकेक्षण रजिस्ट्रार करायेगा और ऐसे विशेष अंकेक्षण का संचालन तथा ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुती ऐसी रीति में तथा ऐसी समयावधि के भीतर की जायेगी, जैसी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाये.

(23) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी की बोर्ड के अलावा किसी भी प्राधिकारी को इसके निवल मूल्य (नेट वर्थ) या ऐसी सहकारी सोसाइटी की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु उन अपेक्षित निधियों को छोड़कर किसी निधि में किए जाने वाले अंशदान हेतु सहकारी सोसाइटी को निर्देशित करने की शक्तियां नहीं होंगी.

(24) सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी के मामले में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्ड जिसमें पूंजी के लिए जोखिम भारित आस्तियों के मानदण्ड (रिस्क वेटेड असेट्स रेश्यो) भी सम्मिलित है रजिस्ट्रार द्वारा राष्ट्रीय बैंक के परामर्श से विहित किये जायेंगे.

(25) (एक) जहां रिजर्व बैंक कोई विनियम विहित करता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक या सहकारी केन्द्रीय बैंक, यथास्थिति, की बोर्ड के अतिष्ठान या परिसमापन की अनुशंसा भी शामिल है, तब रजिस्ट्रार ऐसी संसूचना के एक माह के भीतर अनुपालन करेगा.

(दो) रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसमापन या अधिक्रमण के लिए परिसमापक अथवा प्रशासक, यथास्थिति, नियुक्ति हो गया है.

(तीन) जहां रिजर्व बैंक की यह राय हो कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंक, यथास्थिति, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य ऐसे हैं कि ऐसे व्यक्ति का बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में निरंतर बने रहना बैंक के हित

में वांछनीय नहीं है, तब रजिस्ट्रार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पद से हटाये जाने की अपेक्षा कर सकेगी तथा रजिस्ट्रार ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(चार) यदि कोई व्यक्ति रिजर्व बैंक की राय में, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट ज्ञान नहीं रखता है, तो रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह पर, ऐसे सहयोजित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे पद से हटाये जाने हेतु तत्काल अग्रसर होगा.

(26) अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक कर्मचारी ऐसी सहकारी सोसाइटी के संवर्ग से होंगे तथा सहकारी सोसाइटी को ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही के समस्त विषयों में पूर्ण शक्तियां होंगी :

परंतु यह कि कोई कर्मचारी जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि पर वहां है, के निबंधन एवं शर्तों को संरक्षित किया जायेगा.

(27) जहां अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी को इस अध्याय के किसी उपबंधों में लोकहित में छूट दिया जाना अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ऐसा करेगी.

(28) कोई भी प्राधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा अथवा ऐसे तरीके से ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा जिसके प्रभाव से किसी भी अल्पकालीन साख संरचना सोसाइटी की शक्तियों में इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत कमी होती हो.

धारा 58. लेखाओं की संपरीक्षा -

उप-धारा (4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत संपरीक्षकों अथवा परीक्षकों के समूह द्वारा कराएगी और संपरीक्षा के लिए ऐसी फीस देय होगी जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित की जाए :

परन्तु यह कि -

(एक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से सोसाइटियों के किसी वर्ग को ऐसा शुल्क भुगतान करने में छूट दे सकेगी;

(दो) रजिस्ट्रार, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करेगा;

(तीन) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसे लेखे सम्बंधित हो, की समाप्ति के छ: माह के भीतर कराई जाएगी और सहकारी सोसाइटी की लेखाओं का संधारण सम्बंधित सहकारी सोसाइटी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जैसा कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विहित किया जाएगा;

(चार) संपरीक्षक, जिसके द्वारा उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी के लेखाओं का संपरीक्षण किया जाना है, की नियुक्ति इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों अथवा संपरीक्षा फर्म्स के पैनल में से सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

परंतु यह और कि परिसमापित सोसाइटी के मामले में परिसमापक, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल में से अपने लेखों की संपरीक्षा कराने हेतु संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म की नियुक्ति कर सकेगा.

उप-धारा (7) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सहकारी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सहकारी सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा, जैसा कि संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स अपेक्षित करे :

परंतु यह कि शीर्ष सोसायटियों के लेखाओं का संपरीक्षा प्रतिवेदन, राज्य विधान सभा के समक्ष ऐसी रीति में रखा जाएगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 58-ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया -

उप-धारा (3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा :

परन्तु परिसीमाकाल की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.